अध्याय 4 निष्कर्ष और सिफारिशें

क. निष्कर्ष

पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण तंत्र कोस्ट प्लस मॉड (शासित मूल्य तंत्र) से आयात समता मूल्य की ओर तथा अब आयात समता मूल्य और व्यापार समता मूल्य के सम्मिश्रण से विकसित हुआ है। मूल्य निर्धारण पद्धति के अनुसार, रिफाइनरी गेट पर चुने हुए गंतव्य पर उत्पाद के एफओबी मूल्य से अधिक निर्धारित किया जाता है जो रिफाइनरियों को उच्च प्रतिफल अनुमत करता है। यह लाभ निजी और एक मात्र रिफाइनरियों सहित सभी रिफाइनरियों के लिए उपलब्ध है। हालांकि ओएमसी रिफाइनरियों को अंर्तनिहित कमियों जैसे पुरानी होने, अमितव्ययी आकार और उनके प्रतिस्थापन के स्थान के कारण इन रिफाइनरियों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता।

रिफाइनरी गेट पर मूल्य निर्धारण तंत्र का उद्देश्य एक प्रोत्साहन के रूप में मौजूदा रिफाइनरियों की तकनीक को उन्नत करना तथा दक्षताओं में सुधार हेतु रिफाइनरी खण्ड में निवेश आकर्षित करना था। जबकि ओएमसीज़ ने तकनीकी उन्नत करने के लिए अपनी मौजूदा रिफाइनरियों में कुछ निवेश किया है, एक नमूने के अध्ययन से पता चलता है कि इन रिफाइनरियों के निष्पादन में अभी भी बहुत अधिक कमी है और आगे तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता है। मूल्य के ढ़ांचे में सम्मिलित मार्केटिंग से जुड़े व्यय भी ओएमसीज़ द्वारा किए गए वास्तविक व्यय नहीं दर्शाते हैं।

मूल्य ढ़ांचे से ओएमसीज़ की कम-वसूलियों बढ़ती हैं जो आंशिक रूप से भारत सरकार और अपस्ट्रीम कम्पनियों द्वारा वित्तपोषित की जाती हैं। कम-वसूलियों के वित्तपोषण ने अपस्ट्रीम कम्पनियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है जो एक तिहाई कम-वसूली भार को वहन करती हैं, जबकि बदले में कम-वसूली दावों के निपटान के माध्यम और देरी से ओएमसीज़ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कम-वसूलियों ने भारत सरकार के राजकोषीय घाटे को बढ़ाने में भी योगदान किया। इसके अलावा कम-वसूलियों को बांटने हेतु एक औपचारिक एवं सुपरिभाषित तंत्र के अभाव में अपस्ट्रीम कम्पनियों और ओएमसीज़ दोनों के हितों में हानिकारक अनिश्चितता के हद तक योगदान दिया।

अंतिम उपभोक्ता द्वारा उत्पादों के प्रति भुगतान किए गए खुदरा बिक्री मुल्य में कराधान महत्वपूर्ण योगदान देता है। केन्द्रीय और राज्य कर दोनों, दिल्ली में एचएसडी के खुदरा बिक्री मूल्य का 19 प्रतिशत था (अगस्त 2012)। जबकि केन्द्रीय करों का आवधिक रूप से यौक्तिकीकरण किया जाता है, राज्य सरकारों के कर व्यापक रूप में और मूल्य

अनुसार भिन्न थे जो उत्पाद के दाम बढ़ाने के साथ उपभोक्ताओं पर अत्यधिक भार डालते थे। संचालन के प्रत्येक स्तर पर मूल्यवर्धन पर देय कर के साथ एकीकृत कर व्यवस्था के लिए परिवर्तन के साथ-साथ राज्य के करों का यौक्तिकीकरण अभी भी पूरा किया जाना है।

जून 2010 में एमएस के अविनियमन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों पर कम-वसूली की राशि 2007-08 में ₹ 77,123 करोड़ से 2011-12 में लगभग दोगुनी अर्थात ₹ 1,38,541 करोड़ हो गई। भारत सरकार ने इस मुद्दे से निपटने के लिए कुछ कदम उठाये है। थोक ग्राहकों को अदा किए जाने वाले पूरे बाजार मूल्य के साथ एचएसडी के दोहरे मूल्य निर्धारण की एक प्रणाली जनवरी 2013 से कार्यान्वित की गई है। हालांकि इसके कारण थोक ग्राहकों को बिक्री में कमी होती है। सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेण्डरों को नौ तक सीमित कर दिया गया (जिसे फरवरी 2014 में बढ़ाकर 12 कर दिया गया)। 'आधार' माध्यम का प्रयोग करते हुए उपभोक्ताओं को सीधे लाभ का स्थानान्तरण, चयनित जिलों में एक पायलट आधार पर लागू किया जा रहा है। इन वर्तमान गतिविधियों का प्रभाव पूरी तरह से स्थापित होने में समय लगेगा।

ख. सिफारिशें

1. प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण तंत्र की सुरक्षा में निरंतरता का उद्देश्य पीएसयू रिफाइनरियों में तकनीकी उन्नयन में उपयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना तथा दक्षताओं में सुधार करना था जिसे पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया गया है। यद्यपि एमओपीएनजी ने मूल्य निर्धारण पद्धति के माध्यम से अपनी रिफाइनरियों को निरंतर सहयोग देने की वकालत की है, रिफाइनरियों (लेखापरीक्षा नमूना जाँच से साक्ष्य के अनुसार) की दक्षताओं के सुधार में सीमित प्रगति को देखते हुए इस तंत्र की समीक्षा करने और खराब निष्पादन करने वाली रिफाइनरियों के मामले में एक वैकल्पिक पारदर्शी लक्ष्योन्मुख तंत्र बनाए जाने का एक मजबूत मामला बनता है।

2. इस दौरान भारत सरकार कम-वसूलियों की प्रतिपूर्ति के मौजूदा अस्थाई प्रणाली के स्थान पर सभी पणधारकों (अपस्ट्रीम कम्पनियों, ओएमसीज़ और भारत सरकार) के बीच भार बांटने वाला एक औपचारिक और पारदर्शी तंत्र स्थापित करे ताकि प्रतिपूर्ति समय पर प्राप्त हो और ओएमसीज़ को कार्यशील पूंजी में कटौती न करना पड़े।

3. भारत सरकार सुनिश्चित करे कि मूल्य निर्धारण तंत्र के अधीन निर्यात वसूली से अधिक दरों पर ओएमसीज़ को घरेलू आपूर्तियों के लिए क्षतिपूर्ति की मौजूदा प्रथा के माध्यम से निजी/एक मात्र रिफाइनरियों को अनुचित लाभ न मिले।

4. एलपीजी और एसकेओ के लिए कम-वसूली/सब्सिडी आवश्यकताओं को ज्यादा सटीक ढंग से दर्शाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी राशियों को संबंधित वर्षों के बजट में शामिल किया जाए, भारत सरकार 'एलपीजी (घरेलू) और एसकेओ (पीडीएस केरोसीन) सब्सिडी योजना 2002' पर फिर से गौर करें।

5. भारत सरकार समयबद्ध तरीके से प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों पर राज्य करों के युक्तिकरण की उपलब्धि तथा परिचालन के प्रत्येक स्तर पर संवर्धित मूल्य पर देय कर के साथ एक एकीकृत कर पद्धति की और परिवर्तन करने का अनुसरण करें।

नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई 2014

(उषा शंकर)
उप-नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं
अध्यक्षा, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई 2014

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक